न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,(प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/03/2024 रजू दिनांकः 06.3.2024 रजि0 न0 2024/21

अपीलार्थीः— बनाम प्रत्यर्थीः—

श्री विजय सिंह मीना,
निवासी ग्राम सैमला,पोस्ट हसनपुर
तह0 लक्ष्मणगढ व जिला अलवर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखंण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय ::—

दिनांकः— 18.04.2024

पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रथम अपील निर्णय दिनांक 26.07.2023 के क्रम में माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर द्वारा द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 के द्वारा रिमाण्डे की जाकर प्रकरण में ग्राम सैमला के खसरा नंबर 58/02 राजकीय भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत शिकायत दिनांक 17.01.2023 संदर्भ मे सूक्ष्म जांच करवाये जाने निर्देश के प्रदान किया है।

माननीय आयोग के निर्णय की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण प्रत्यर्थी को न्यायालय हाजा के पत्र क्रमांक कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आईअपील/2024/71 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से प्ररकण में जवाब/तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर अपीलार्थी को भी पत्रांक 72 दिनांक 21.03.2024 के द्वारा सूचनार्थ पत्र जरिये रजिस्टर्ड—डाक प्रेषित किया गया। जवाब प्राप्त ना होने के पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक 98—99 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा पुनः प्रत्यर्थी को जवाब/जॉच रिपोर्ट एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ लिखा गया। अपीलार्थी को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र वापस लोटकर मय लिफाफा न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, लिफाफे पर नोट अंकित आया कि प्राप्तकर्ता मर जाने के कारण डाक वापस की गयी।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिनिधि न्यायालय हाजा उप0 होकर जवाब/तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब एवं रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि आवेदन पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित/नियन्त्रणाधीन नही होने के कारण आर0टी0आई0 आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/आर0टी0आई0/अन्तरण/2023/711 दिनांक 23.05.2023 से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, लक्ष्मणगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण/अन्तरण किया गया। जिसकी सूचना आवेदक को भी दी गई। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिए गये शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई। चूंकि जो भी पत्र/शिकायत पत्र इस कार्यालय में आम लोगों से प्राप्त होते है उनको जिस विभाग से संबंधित होते है उसी विभाग को विधिवत कार्यवाही हेतु भिजवाया जाता है, और उसकी पालना रिपोर्ट कार्यालय मे प्राप्त होने पर उसका रिकार्ड संधारित किया जाता है, जिसकी सूचना चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यदि कार्यालय में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही होने पर सम्बन्धित विभाग आर0टी0आई0 आवेदन पर हस्तान्तरण किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में सूचना आवेदन में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नही होने से सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण किया गया। माननीय सूचना आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गये है कि उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत शिकायत दिनांक 17.01.2023 के विशेष सन्दर्भ में सूक्ष्म जांच करवाई जाए। दिनांक 17.01.2023 से प्रेषित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

शिकायत अथवा अपीलार्थी द्वारा अन्य शिकायतों मे मुख्य शिकायत ग्राम सैमला के आ0ख0नं0 58/2 के अतिक्रमण को लेकर है। ग्राम सैमला का आ.ख.न.58/2 रकबा 0.17 है0 जो अब नगरपालिका के नाम दर्ज है। यह स्पष्ट किया जाता है। कि नगरपालिका के स्वामित्व में दर्ज भूमि पर कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकाय (नगरपालिका) का है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245–Encroachment or obstruction upon public land की उप धारा (3) The Municipality or any officer authorized by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said obstruction of encroachment. उक्त धारा के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि नगरीय निकाय की भूमियों पर कार्यवाही का अधिकार सम्बन्धित नगरीय निकाय को है। अपीलीय प्रकरण में माननीय राज्य सूचना आयोग राजस्थान, जयपुर में विचाराधीन द्वितीय अपील सं0 107803/2023 में इस कार्यालय से जबाव भिजवाते समय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लक्ष्मणगढ से प्रकरण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जो नगरपालिका लक्ष्मणगढ ने अपने पत्रांक न.पा.ल./2023–24/686 दिनांक 06.02.2024 से इस कार्यालय में प्रस्तुत की है आराजी ख0न0 58/2 ग्राम सैमला पर अतिक्रमण संबंधित जो शिकायते प्राप्त होती है उनका समाधान नगरपालिका लक्ष्मणगढ के स्तर पर ही होना है। ऐसी स्थिति में ग्राम सैमला के आराजी ख.न. 58/2 के सम्बन्ध में अनवरत प्राप्त शिकायतो के कम में गंभीरता समझते हुए कार्यालय द्वारा पत्र कमांक पीए/2024/688 दिनांक 05.04.2024 से श्रीमान् उप निदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्वायत्त शासन विभाग (स्थानीय निकाय) को भी लिखा जा चुका है। अतः श्रीमानजी जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय से नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में नगरपालिका लक्ष्मणगढ को अन्तरण किया जा चुका था जिसकी सूचना आवेदक को भी पृथक से दी गई थी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निराधार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय सूचना आयोग के निर्णय की पालना में पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा जवाब/तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि जिला कार्यालय अलवर के पत्रांक 544 दिनांक 08.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी का प्रथम आवेदन दिनांक 02.03.2023 प्रत्यर्थी कार्यालय को दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुआ। आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र कमांक 711–13 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा आवेदन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लक्ष्मनगढ को अन्तरित करते हुऐ प्रार्थी को अवगत कराया गया। अपीलार्थी द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही को सूचना चाही गई है। चूंकि जो भी पत्र/शिकायत पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त होते है, उन्हे संबन्धित विभाग को विधिवत कार्यवाही हेतु भिजवा दिये जाते है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित शिकायती पत्र भी संबन्धित विभाग नगरपालिका लक्ष्मणगढ को भिजवाया गया है। जिस कारण अपीलार्थी को प्रथम आवेदन भी संम्बधित विभाग नगरपालिका लक्ष्मणगढ को हस्तान्तरित किया गया। प्रकरण में वर्णित ग्राम सैमला के ख0 न0 58/02 रकबा 0.17 है0 नगरपालिका के नाम दर्ज है। ख0 न0 के संबंध मे कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सम्बंधित निकाय का है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245–Encroachment or obstruction upon public land की उप धारा (3) The Municipality or any officer authorized by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

removal shall be paid by the person who has caused the said obstruction of encroachment. उक्त धारा के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि नगरीय निकाय की भूमियों पर कार्यवाही का अधिकार सम्बन्धित नगरीय निकाय को है।

प्रकरण में नगरपालिका लक्ष्मणगढ से जॉच रिपार्ट पत्रांक 686 दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से प्राप्त हुई। पत्रावली में संलग्न नगरपालिका लक्ष्मणगढ को जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जॉच रिपोर्ट में वर्णन है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्ररकण में वर्णित ग्राम सैमला के ख0 न0 58/2 के संबंध में अधिनियम के तहत आवेदन किया गया था। जिसके निस्तारण पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय सूचना आयोग में अपील संख्या 105668 दर्ज की गई, जिसे दिनांक 01.11.2023 को पालिका स्तर से सूचना दिये जाने के कारण अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील का निस्तारण किया गया। प्रश्नगत खसरे पर अपीलार्थी सुखराम पुत्र भोमाराम का अतिक्रमण बताया। नगरपालिका द्वारा दिनांक 19.07.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया। पालिका कनिष्ठ अभियन्ता की मौके रिपोर्ट अनुसार वक्त सीमाज्ञान व दिनांक 09.09.2023 की स्थिति में कोई परिवर्तन नही है तथा मोके पर कोई पक्का निर्माण नही होना पाया गया। उक्त ख0 न0 के उत्तर दिशा की ओर सुखराम का मकान है। जिसका ग्राम पंचायत हसनपुर द्वारा दिनांक 17.07.1986 को जारी पट्टा न0 19 है। उसी के समानान्तर अन्य लोगो के भी मकानात बने हुये है, जिनके पट्टे भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है। नगरपालिका लक्ष्मणगढ के नाम भूमि दर्ज होने व सीमाज्ञान होने के पश्चात कोई कच्चा पक्का अतिक्रमण नही पाया गया है। अपीलार्थी आदतन शिकायतकर्ता हैं, इनके द्वारा कोई सुनिश्चित अभिलेख सूचना के रूप में अपने आवेदन में इंगित नहीं किये जाते है। महज कल्पना के आधार पर जानकारी, सूचना अथवा प्रश्नो के उत्तर चाहे गये है। माननीय सूचना आयोग ने निर्णय में निर्देश दिये है कि शिकायत दिनांक 17.01.2023 के विशेष संदर्भ में सूक्ष्म जॉच करवाये। माननीय सूचना आयोग के निर्देशानुसार जॉच में मुख्य तर्क पाये कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित ख0 न0 नगरपालिका लक्ष्मणगढ के नाम दर्ज है। नगरपालिका की जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त ख0 न0 पर अन्य किसी का अतिक्रमण नही है। विवादित ख0 न0 के आस पास जिन लोगो के मकान बने हुये है उनके पट्टे ग्राम पंचायत हसनपुर द्वारा जारी किये है। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा भी शिकायती पत्र में अतिक्रमण के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है। अपील, अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति प्रत्यर्थी व अपीलार्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
अलवर (राज0)